

द्वितीय सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गोहद, जिला भिण्ड (म०प्र०)

(समक्ष- मोहम्मद अजहर)

क्लेम प्रकरण क्र. 16/16

संस्थित दिनांक 04/04/2016

1. रामअवतार पुत्र सुखराम आयु 45 साल
2. श्रीमती केशरबाई पत्नी रामअवतार आयु 43 साल
निवासीगण वार्ड नं०-04 अर्जुन कालोनी गोहद
जिला भिण्ड म०प्र०आवेदकगण

बनाम

1. रामवीर पुत्र कामता प्रसाद श्रीवास निवासी सरलानगर
सूर्य मंदिर रोड गोले का मंदिर ग्वालियर जिला ग्वालियर
म०प्र०
वाहन चालक/स्वामी पिकअप वेन क०एम.पी.-07जी.ए.-5658
2. क्षेत्रीय प्रबंधक एच.डी.एफ.सी जनरल इन्श्योरेंस कंपनी
लिमिटेड न्यू पलासिया रोड इन्दौर
ब्रांच फस्ट फ्लौर टॉवर 1640 नेफियर टॉउन मिशन
कम्पाउण्ड रोड जबलपुरबीमा कंपनी
.....अनावेदकगण

.....
आवेदकगण द्वारा श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता
अनावेदक क्रमांक-1 द्वारा श्री एम.एस. यादव अधिवक्ता।
अनावेदक क्रमांक-2 द्वारा श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता।
.....

// अधि-निर्णय //

(आज दिनांक 20.07.2017 को पारित)

1. आवेदकगण की ओर से यह क्लेम याचिका धारा 166 सहपठित 140
मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत दिनांक 12.12.2015 को ग्राम बहुआ के
पास ग्वालियर रोड अंतर्गत थाना मेहगांव में हुई मोटर वाहन दुर्घटना में
आवेदकगण के पुत्र हरिकिशन को आई गंभीर चोटों से हुई उसकी मृत्यु के
फलस्वरूप अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति की राशि 50,50,000/-रुपये 12
प्रतिशत ब्याज सहित संयुक्त रूप से अथवा प्रथक प्रथक रूप से दिलाए जाने
हेतु प्रस्तुत की गई है।

2. क्लेम याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.12.15 को आवेदकगण का पुत्र हरिकिशन अपनी लेबर के साथ भिण्ड से अपने तंदूर कुल 03 अनावेदक क्र०-01 के वाहन पिकअप वैन क्रमांक एम.पी.-07 जी.ए.-5658 में लेबर से रखवा कर अपने घर ला रहा था, जब वह बहुआ के पास पहुंचा तो अनावेदक क्र०-01 ने उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाया जिससे हरिकिशन अपने तंदूरों को संभालने लगा तथा अनावेदक क्रमांक 01 ने उक्त वाहन को धीमा करने के बाद पुनः एक दम तेज कर दिया। जिससे हरिकिशन सड़क पर गिर गया। जिससे हरिकिशन के सिर व शरीर में जगह-जगह चोटें आने से मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी रिपोर्ट थाना गोहद चौराहे पर की गई तथा असल अपराध थाना मेहगांव पर अपराध क्रमांक 26/16 अंतर्गत धारा-279 एवं 304ए भा०दं०सं० अनावेदक क्र०-01 के विरुद्ध दर्ज हुआ। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
3. दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्र०-01 उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी था तथा उसी ने उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर, उक्त दुर्घटना कारित की। दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन अनावेदक क्र०-02 की बीमा कंपनी में बीमित था। हरिकिशन दुर्घटना के पूर्व स्वस्थ होकर शिक्षा अध्ययन का कार्य कर रहा था और फुरसत में विवाह आदि में अपने स्वयं के तंदूर किराए पर देता था। जिससे उसे 9,000/-रुपए प्रतिमाह की आमदनी होती थी। वह अत्यंत ही होनहार था जो निकट भविष्य में बहुत ही शानदार होटल का मालिक होता। अनावेदकगण अपने पुत्र हरिकिशन की आय पर आश्रित थे तथा वह उनके बुढ़ापे का सहारा बनता। हरिकिशन की मृत्यु हो जाने से वह बेसहारा हो गए हैं। उक्त आधारों पर क्षतिपूर्ति की राशि ब्याज सहित दिलाए जाने की प्रार्थना की गई है।
4. अनावेदक क्र०-01 की ओर से आवेदकगण की क्लेम याचिका का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए, क्लेम याचिका के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्युत्तर किया है और यह अभिवचन किया है कि

अनावेदक क्रमांक 01 के वाहन से हरिकिशन को नहीं ले जाया जा रहा था और न ही अनावेदक क्र०-01 द्वारा उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाया गया है, न ही वाहन को कम गति में करके पुनः गति बढ़ाई गई है। अनावेदक क्रमांक 01 के विरुद्ध झूठा मामला कायम कराया गया है। उसके वाहन में हरिकिशन बैठा ही नहीं था। उसके वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है। उक्त आधारों पर क्लेम याचिका निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

5. अनावेदक क्रमांक 02 एच.डी.एफ.सी. एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने क्लेम याचिका का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए आवेदकगण के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्ख्यान किया है और यह अभिवचन किया है कि यदि दिनांक 12.12.15 को लोडिंग वाहन अशोक लीलेण्ड पिकअप क्रमांक एम.पी.-07-जी.ए.-5658 के द्वारा हरिकिशन के साथ कोई दुर्घटना कारित होना, उक्त दुर्घटना में हरिकिशन की मृत्यु कारित होना, उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक 02 की बीमा कंपनी में दुर्घटना दिनांक 12.12.15 को बीमित होना प्रमाणित होता है तो यह आपत्ति की गई है कि दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन बिना वैध एवं प्रभावशील ड्रायविंग लाइसेंस, परमिट एवं फिटनेस के चलाया जा रहा था। उक्त वाहन मालवाहक वाहन है। जिसके संबंध में बीमा कंपनी द्वारा चालक व क्लीनर के अलावा अन्य किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति/यात्री का कोई प्रीमियम प्राप्त नहीं किया गया है। उक्त वाहन का उपयोग मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत अनाधिकृत रूप से यात्रियों/सवारियों को बैठाकर यात्री वाहन के रूप में किराया लेकर किया जा रहा था। हरिकिशन अन्य सवारियों के साथ उक्त माल वाहक यान में यात्रा कर रहा था। वाहन में बैठे किसी भी अनाधिकृत यात्री का जोखिम बीमा पॉलिसी में कवर न होने से बीमा पॉलिसी की शर्तों एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण अनावेदक क्रमांक 02 क्षतिपूर्ति की अदायगी हेतु उत्तरदायी नहीं है। उक्त आधारों पर क्लेम याचिका निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

6. उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिवचनों एवं प्रलेखों के आधार पर मेरे

पूर्व विद्वान पदाधिकारी के द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्न निर्मित किए गये, जिनके निष्कर्ष साक्ष्य की विवेचना के आधार पर उनके सामने लिखे जा रहे हैं:-

वादप्रश्न	निष्कर्ष
1. क्या दिनांक 12.12.15 को सुबह करीब 08:00 बजे ग्राम बहुआ के पास ग्वालियर रोड पर जो थाना मेहगांव के अंतर्गत अनावेदक क्रमांक 01 ने अपने स्वामित्व की लोडिंग गाडी क्रमांक एम.पी.-07-जी.ए.-5658 को उपेक्षा पूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मृतक हरिकिशन को टक्कर मारकर घटनास्थल पर दौरान मृत्यु कारित हुई ?	प्रमाणित
2. क्या आवेदकगण उक्त दुर्घटना में मृतक हरिकिशन के वारिसान की हैसियत से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के पात्र है, यदि हां तो किससे और कितनी-कितनी राशि ?	आवेदकगण अनावेदक क्रमांक 01 से 4,80,000/-रुपए की क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है।
3. क्या अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा लोडिंग गाडी क्रमांक एम.पी.-07-जी.ए.-5658 की बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया है ? यदि हां तो प्रभाव ?	प्रमाणित। बीमा कंपनी अनावेदक क्रमांक 02 को क्षतिपूर्ति की राशि की अदायगी से उन्मुक्त किया गया।
3 क्या प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है ?	अप्रमाणित
5. अन्य अनुतोष ?	क्लेम याचिका आंकिश रूप से स्वीकार की गई।

—:सकारण निष्कर्ष:—

वाद प्रश्न क्रमांक-01 :-

7. रामअवतार आ0सा0-01 ने यह बताया है कि दिनांक 12.12.15 को सुबह 08:00 बजे के लगभग हरिकिशन अपनी लेबर के साथ भिण्ड से अपने तीन तंदूर अनावेदक क्रमांक 01 रामवीर सिंह के वाहन क्रमांक एम.पी.-07-जी.ए.-5658 में अपनी लेबर के माध्यम से रखवा कर अपने घर ला रहा था। जब वह बहुआ के पास पहुंचा तो अनावेदक क्रमांक 01 ने वाहन क्रमांक एम.पी.-07-जी.ए.-5658 को तेजी व लापरवाही से चलाया, तब हरिकिशन अपने तंदूरों को संभालने लगा। अनावेदक क्रमांक 01 ने उक्त वाहन को धीमा करने के बाद पुनः तेज कर दिया, जिससे हरिकिशन सड़क पर गिर गया। जिससे चोटें आने से उसकी मृत्यु हो गई। जहां से उसे अस्पताल

गोहद लाया गया। जिसकी रिपोर्ट थाना गोहद चौराहे पर की गई। जिससे थाना मेहगांव पर अपराध पंजीबद्ध हुआ।

8. रामअवतार आ०सा०-01 ने यह बताया है कि अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा उक्त लोडिंग गाड़ी को तेजी व लापरवाही से चलाया गया। इस प्रकार रामअवतार आ०सा०-01 ने घटना घटित होना बताया है। परंतु प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी है। इस प्रकार से वह घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, अनुश्रुत साक्ष्य का साक्षी है। इस संबंध में उसने बताया है कि उसके भतीजे ने फोन करके बता दिया था।
9. हाकिम सिंह आ०सा०-02 ने उपरोक्त संपूर्ण घटना बताई है और यह बताया है कि अनावेदक रामवीर अपने को तेजी व लापरवाही से चलाने लगा और वे सभी लोग तंदूर को संभालने लगे तथा रामवीर से वाहन को धीमे चलाने को कहा तो रामवीर ने वाहन को तेजी से चलाते हुए उसकी गति बढ़ा दी, जिससे हरिकिशन मौके पर ही जमीन पर गिर कर खत्म हो गया। इस साक्षी ने स्वयं को चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में प्रकट किया है और यह बताया है कि दिनांक 12.12.15 को वह अपने चचेरे भाई हरिकिशन और ठेकेदार केशव कुशवाह के साथ भिण्ड में खाना बनाने के लिए गया था और खाना बनाकर ठेकेदारी का सामान रखकर वाहन क्रमांक एम.पी.-07-जी.ए.-5658 में अपनी लेबर के माध्यम से तंदूर रखवाकर गोहद की तरफ आ रहा थे। इस प्रकार इस साक्षी ने केशव कुशवाह और हरिकिशन के साथ भिण्ड से खाना बनाकर वापस लौटना बताया है।
10. आवेदकगण की ओर से प्र०पी०-01 लगायत प्र०पी०-11 के उक्त संबंधित आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई हैं। प्र०पी०-01 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक 01 रामवीर सिंह के विरुद्ध धारा-279 एवं 304ए भा०दं०सं० के तहत अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्र०पी०-02 का मार्ग इंटीमेशन का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि रामकुमार पुत्र रामसिंह के द्वारा दिनांक 12.12.15 को थाना गोहद चौराहे पर कपिल रावत के साथ आकर यह स्पष्ट सूचना दी गई है

कि उसी दिनांक को सुबह 08:00 बजे उसका भांजा हरिकिशन एवं पड़ोस के ठेकेदार केशव कुशवाह भिण्ड में खाना बनाने का काम करने कल गए थे। आज सुबह वापस आते समय लोडिंग गाड़ी पर गोविंद, पोदी कुशवाह, गोपाल पाराशर एवं अन्य लोगों के साथ हरिकिशन गाड़ी पर बैठा और वह अचानक गाड़ी से गिर गया, जिससे सड़क पर गिरने से हरिकिशन के सिर में, शरीर में जगह-जगह चोट आने से मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। घटनास्थल ग्राम बहुआ के पास है।

11. उक्त मर्ग इंटीमेशन प्र०पी०-02 के आधार पर थाना मेहगांव में प्र०पी०-03 का मर्ग इंटीमेशन लिखी गई है, जिसकी जांच किए जाने पर राम सिंह जाटव के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो कि दिनांक 16.01.16 को किया गया है। इस प्रकार दुर्घटना दिनांक 12.12.15 की है और लगभग एक माह पश्चात कायमी की गई है, जो जांच के आधार पर की गई है। प्र०पी०-04 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में जांच प्रधान आर० वीरेन्द्र सिंह को दिए जाने के तथ्य हैं परंतु आवेदकगण की ओर से उक्त जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। प्र०पी०-02 के मर्ग इंटीमेशन में उक्त लोडिंग वाहन का कार्ड नंबर नहीं है तथा उसे कौन चला रहा था यह भी स्पष्ट नहीं है। आवेदकगण की ओर से किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी के धारा-161 दं०प्र०सं० के कथन प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

12. प्र०पी०-04 की प्रथम सूचना रिपोर्ट का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि रामसिंह जाटव के विरुद्ध अपराध की कायमी अवश्य की गई है। परंतु प्र०पी०-04 में भी वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर आदि नहीं लिखे हुए है, न ही कोई चैसिस व इंजन नंबर है। कॉलम नंबर 07 में जो ब्यौरा दिया गया है, वह लोडिंग गाड़ी बिना नंबर की सफेद रंग की का चालक रामवीर श्रीवास लिखा हुआ है। जिससे कि यह स्पष्ट है कि जो लोडिंग गाड़ी है, वह सफेद रंग की है और उस पर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है। परंतु चालक के नाम के उल्लेख है। दिनांक 16.01.16 को लोडिंग गाड़ी बिना नंबर की सफेद प्रकाश में आने पर भी लगभग एक माह से अधिक अवधि तक उक्त लोडिंग वाहन को जप्त ही नहीं किया गया है।

13. जप्ती पंचनामा प्र०पी०-08 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 20.02.16 को उक्त सफेद रंग का लोडिंग वाहन नंबर एम.पी.-07-जी.ए.-5658, चैसिस नंबर एम.बी.11ए.ए.22ई2एफ.आर.ए.01169 तथा इंजन नंबर ए.एफ.एच.018825पी. तथा सेल लेटर पत्र, ड्रायविंग लाइसेंस एवं बीमे की छायाप्रति जप्त की गई है। इस प्रकार प्रथम बार उक्त नंबर का लोडिंग वाहन प्रकाश में आया है अर्थात् दो माह पश्चात उक्त वाहन प्रकाश में आया है। रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि रजिस्ट्रेशन दिनांक 19.02.16 का है, जिससे कि स्पष्ट है कि पुलिस ने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने का पूर्ण अवसर दिया है और रजिस्ट्रेशन हो जाने के पश्चात दिनांक 20.02.16 को वाहन को जप्त कर लिया गया है।
14. बीमा पॉलिसी प्र०डी०-01 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि बीमा दिनांक 07.07.15 से 06.07.16 तक की अवधि के लिए है। उक्त बीमा पॉलिसी में केवल चैसिस नंबर और इंजन नंबर का उल्लेख है। जिससे कि स्पष्ट है कि दिनांक 07.07.15 की स्थिति में वाहन नया होने से उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। रजिस्ट्रेशन दिनांक 19.02.16 को हुआ है।
15. हाकिम सिंह आ०सा०-02 ने स्वयं को चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में बताया है। प्र०पी०-01 के अभियोगपत्र का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि हाकिम सिंह पुत्र कालीचरण जाटव को साक्षियों की सूची में साक्षी के रूप में दर्शाया गया है। इस अधिकरण के समक्ष उसने यह बताया है कि रामवीर से वाहन धीरे चलाने को कहा तो रामवीर ने वाहन को और तेजी से चलाते हुए एक दम से रेस दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप हरिकिशन मौके पर ही गिर कर खत्म हो गया। यद्यपि यह तथ्य न तो प्र०पी०-02 एवं प्र०पी०-03 की मार्ग इंटीमेशन में और न ही प्र०पी०-04 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आए हैं। धारा-161 दं०प्र०सं० के भी कोई कथन प्रस्तुत नहीं है और न ही जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है तथा जांच के कोई कथन भी प्रस्तुत नहीं है। परंतु अभियोगपत्र प्र०पी०-01 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि पुलिस के द्वारा प्रथम दृष्टि में अनावेदक क्रमांक 01 रामवीर के विरुद्ध धारा-279 एवं 304ए भा०दं०सं० का अपराध होना पाया है और उसके विरुद्ध अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिससे कि इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अनावेदक क्रमांक

01 के द्वारा उक्त लोडिंग वाहन को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाया गया, जिससे हरिकिशन नीचे गिर गया।

16. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत उक्त साक्ष्य के खण्डन में अनावेदक क्रमांक 01 रामवीर सिंह एवं अनावेदक क्रमांक 02 बीमा कंपनी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अनावेदक क्रमांक 01 रामवीर सिंह ने इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर ऐसी साक्ष्य ही नहीं दी है कि उसने उक्त लोडिंग वाहन को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से या तेजी व लापरवाही से नहीं चलाया या वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई। अतः इन संपूर्ण परिस्थितियों में यह प्रकट और प्रमाणित होता है कि अनावेदक क्रमांक 01 ने उक्त वाहन को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाया, जिससे हरिकिशन सड़क पर गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु कारित हुई। जिसकी पुष्टि प्र0पी0-02 एवं प्र0पी0-03 की मर्ग इंटीमेशन, नक्शा पंचायतनामा प्र0पी0-06, पोस्टमोर्टम रिपोर्ट प्र0पी0-07 से भली भांति होती है।

वादप्रश्न क्रमांक 03:-

17. इस वादप्रश्न का निराकरण सुविधा की दृष्टि से वादप्रश्न क्रमांक 02 से पूर्व किया जा रहा है। अनावेदक क्रमांक 02 बीमा कंपनी की ओर से सहायक प्रबंधक आनंद श्रीवास्तव अना0सा0-01 ने यह बताया है कि उक्त वाहन लोडिंग क्रमांक एम.पी.-07-जी.ए.-5658 का उनकी कंपनी द्वारा दिनांक 07.07.15 से दिनांक 06.07.15 तक की अवधि के लिए मालवाहक वाहन पैकेज पॉलिसी के अंतर्गत बीमा पॉलिसी के नियम व शर्तों के अधीन बीमित किया गया था। बीमा पॉलिसी के अनुसार उक्त वाहन की बैठक क्षमता केवल दो व्यक्तियों की थी। दुर्घटना के समय हरिकिशन उक्त वाहन में चार-पांच अन्य व्यक्तियों के साथ अनाधिकृत यात्री के रूप में वाहन की बैठक क्षमता से अधिक बैठकर यात्रा कर रहा था। इस प्रकार के यात्रियों का बीमा पॉलिसी के अंतर्गत रिस्क कवर नहीं था। इस कारण बीमा कंपनी प्रतिकर देने हेतु उत्तरदायी नहीं है।

18. आनंद श्रीवास्तव अना0सा0-01 ने यह भी बताया है कि आर.टी.ओ. कार्यालय ग्वालियर से फिटनेस के संबंध में जानकारी मांगे जाने पर यह टीप

प्राप्त हुई कि घटना दिनांक को फिटनेस वैध नहीं थी। इस आधार पर भी बीमा कंपनी प्रतिकर की राशि की अदायगी के लिए उत्तरदायी नहीं है। बीमा पॉलिसी की सत्यप्रतिलिपि प्र०डी०-०१ तथा फिटनेस न होने संबंधी प्रमाणीकरण प्र०डी०-०२ होना बताया है। प्रतिपरीक्षण में उन्होंने यह बताया है कि मृतक वाहन के लोडिंग पार्ट में बैठा था, इस कारण उसका रिस्क कवर नहीं था।

19. हाकिम सिंह आ०सा०-०२ ने हरिकिशन एवं अन्य लोगों के साथ लोडिंग वाहन में बैठकर भिण्ड से लौटना बताया है। प्रतिपरीक्षण में पैरा-०२ एवं ०३ में यह स्वीकार किया है कि उक्त लोडिंग वाहन का किराया हरिकिशन से ही तय हुआ था। हरिकिशन ने ही उक्त लोडिंग की थी। उसने प्रतिपरीक्षण के इन तथ्यों से स्पष्ट है कि सभी लोग भिण्ड शादी में खाना बनाने का कार्य करने के लिए गए थे और वहां से लोडिंग पिकअप वेन को किराए पर लिया था और उसमें बैठकर आ रहे थे। स्पष्ट है कि उक्त सभी लोग किराया देकर यात्री के रूप में यात्रा कर रहे थे। यद्यपि उनका सामान भी था।

20. रजिस्ट्रेशन की फोटोप्रति का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रश्नगत लोडिंग की सिटिंग कैपेसिटी दो लोगों की है अर्थात् उसके आगे के हिस्से में ड्रायवर और एक अन्य व्यक्ति बैठ सकता था। बीमा पॉलिसी प्र०डी०-०१ के अनुसार स्वामी चालक के लिए 100/-रुपए का प्रीमियम अदा किया गया है तथा ड्रायवर का कण्डक्टर या क्लीनर के लिए 50/-रुपए का प्रीमियम जमा किया गया है। एम्प्लॉई के लिए भी व्यक्ति जो एम्प्लॉई है 200/-रुपए का प्रीमियम जमा किया गया है। उक्त बीमा पॉलिसी के अनुसार स्वामी द्वारा अपने एम्प्लॉई को ले जाने हेतु 200/-रुपए का प्रीमियम जमा है। परंतु अभिलेख पर आई साक्ष्य से स्पष्ट है कि हरिकिशन अन्य लोग हाकिमसिंह, केशव कुशवाह आदि चार-पांच लोगों के साथ किराए से वाहन लेकर जा रहा था। इस प्रकार बीमा पॉलिसी प्र०डी०-०१ में जिन श्रेणियों के व्यक्तियों का प्रीमियम जमा हुआ है, हरिकिशन उन श्रेणियों में नहीं आता है।

21. इस संबंध में न्याय दृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम रत्तानी एवं अन्य 2009 ए.सी.जे. 925 अवलोकनीय है जिसमें गुड्स व्हीकल में 30-40 लोग बैठकर यात्रा कर रहे थे जिसके पलटने से कुछ यात्रियों को चोटें आईं एवं एक की मृत्यु हो गई। मृतक एवं आहतगण की ओर से यह आधार लिया गया कि वह मैरिज पार्टी के सदस्य थे परंतु प्र. सू.रिपोर्ट में दहेज वस्तुओं का वाहन पर लोडिंग होने के तथ्य नहीं थे। आवेदकगण की ओर से यह आधार लिया गया कि जो व्यक्ति ट्रक में यात्रा कर रहे थे वे स्वामी के सामान के प्रतिनिधि थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 30-40 व्यक्ति गिफ्ट आर्टिकल के स्वामी की ओर से प्रतिनिधि नहीं हो सकते। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मान्य किया कि उक्त आहतगण ट्रक में अनुग्रह यात्री के रूप में यात्रा कर रहे थे तथा बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति की राशि की अदायगी से मुक्त किया गया।

22. न्याय दृष्टांत **भान बाई बनाम सुरजीत सिंह भाटिया एवं अन्य 1993 ए.सी.जे. 1290(एम.पी.)** के मामले में गुड्स व्हीकल ट्रक में 20 व्यक्ति बैठे हुए थे जिनका एक्सीडेंट हो गया और कई व्यक्तियों को चोटें आईं जिसमें आहतगण की ओर यह आधार लिया गया कि वे सामान को देखने के लिए व्हीकल में बैठे थे। अधिकरण ने यह मान्य किया कि वे सामान को देखने के लिए व्हीकल में नहीं बैठे थे और बीमा कंपनी को उन्मुक्त किया। माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 की दो न्यायाधीशगण की खंडपीठ ने यह माना कि गुड्स व्हीकल में पैसेंजर की हैसियत से बैठे व्यक्तियों की रिस्क के लिए बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की राशि की अदायगी के लिए उत्तरदायी नहीं है।

23. माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर की **विविध सिविल अपील क्र०-363/05 उन्मान सियाराम उर्फ जय सियाराम बनाम श्रीमती देव कंवर व अन्य** में पारित आदेश दिनांक 25.10.13 में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर की एकल पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक्ट पॉलिसी में यात्रा करने वाले व्यक्तियों का प्रीमियम कवर नहीं था अर्थात् वाहन जीप में बैठे व्यक्तियों का कोई प्रीमियम अदा नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की राशि के लिए उत्तरदायी नहीं मानी गई।

24. उक्त न्याय दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में यह प्रकट है कि हरिकिशन अन्य व्यक्तियों के साथ लोडिंग वाहन में सवारी यात्री के रूप में था जो कि किराए से तय की गई थी, जिसके पीछे के हिस्से में वे तंदूर आदि सहित बैठे थे जिसके संबंध में कोई प्रीमियम अदा नहीं किया गया था।
25. इस संबंध में न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध वेदवति ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 1334, श्रीमती टी.ओ.संगीता विरुद्ध ओरियेंटल इश्योरेंस कंपनी ए.आई.आर. 2008 एस.सी. 245, नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वरूपा ए.आई.आर. 2006 एस.सी. 2472, नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम अजीत कुमार ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 3093, ओरियेंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम देवी रेड्डी, ए.आई.आर. 2003 एस.सी.1009, यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध सुरेश के.के. ए.आई.आर. 2008 एस.सी. 2871, नेशनल इश्योरेंस कंपनी विरुद्ध प्रेमा देवी ए.आई.आर. 2008 सप्लीमेंट 1631, अवलोकनीय है। जिनमें यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि किसी माल वाहक वाहन में कोई व्यक्ति माल के स्वामी या माल के स्वामी के अधिकृत प्रतिनिधि की हैसियत के अलावा यात्रा कर रहा हो तो ऐसे माल वाहक यान में बैठे अनुग्रह यात्री के लिये बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की राशि की अदायगी के लिये उत्तरदायी नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में इस मामले में भी बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की राशि की अदायगी के लिए उत्तरदायी नहीं है। जहां तक कि फिटनेस का प्रश्न है, प्र०डी०-०१ की बीमा पॉलिसी में फिटनेस की कोई शर्त नहीं है।

वादप्रश्न कमांक 02:-

26. यह वादप्रश्न क्षतिपूर्ति की राशि के निर्धारण के संबंध में है। रामअवतार आ०सा०-०१ ने हरिकिशन के भविष्य की कमाई 40,000/-रुपए प्रतिमाह की होना बताई है। अपने आवेदन में विवाह आदि में तंदूर को किराए पर देने का कार्य करना तथा शिक्षा अध्ययन का कार्य करना बताया है। आवेदन में दुर्घटना के समय 9,000/-रुपए प्रतिमाह की आय बताई है, इसी प्रकार हाकिम सिंह आ०सा०-०२ ने भी हरिकिशन का दुर्घटना के समय

9,000/-रुपए प्रतिमाह की आय होना बताई है। परंतु वहीं रामअवतार आ०सा०-1 ने पैरा-10 में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिसके द्वारा यह दर्शित होता हो कि वह 9,000/-रुपए प्रति महीने कमाता हो। इस संबंध में कोई हिसाब किताब आदि भी प्रस्तुत नहीं है अतः ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि हरिकिशन की दुर्घटना के समय आय 9,000/-रुपए प्रतिमाह की थी।

27. हाईस्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा की अंकसूची प्र०पी०-12 से स्पष्ट है कि हरिकिशन ने हाईस्कूल की परीक्षा मई 2015 में उत्तीर्ण कर ली है, परंतु शिक्षा के संबंध में अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं है। प्र०पी०-02 की मर्ग इंटीमेशन का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि हरिकिशन खाना बनाने का काम करने ही भिण्ड गया था। जिससे कि स्पष्ट है कि वह खाना बनाने वालों के साथ लेबर के रूप में जाता था। अतः ऐसी स्थिति में निश्चित है कि उसकी कुछ न कुछ आय अवश्य थी।

28. क्षतिपूर्ति के निर्धारण के उद्देश्य से वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर अकुशल श्रमिक के हिसाब से लगाए तथा यह भी मान्य करे कि कम से कम 20-25 दिवस कार्य करता है। तब भी कम से कम 5000/-रु. आय प्रतिमाह की दर से होती है। न्यूनतम मजदूरी की दर तथा मंहगाई, आवश्यकता तथा अन्य सम्पूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हरिकिशन की मासिक आय 5000/-रु. मान्य की जाती है।

29. प्रस्तुत की गई साक्ष्य के आधार पर यह प्रकट है कि हरिकिशन अविवाहित था। आश्रितों में रामअवतार पिता एवं केशरबाई मां का होना बताया है। परंतु न्याय दृ० सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य एआईआर 2009 एससी 3104 के अनुसार मां को ही आश्रित माने जाने का निर्देश दिया गया है अतः ऐसी स्थिति में आश्रित सदस्यों की संख्या एक होती है। वैसे भी आवेदक रामअवतार आ०सा०-01 अपने व्यवसाय के संबंध में मौन है। परंतु उसने ऐसा व्यक्त नहीं किया है कि वह कोई कार्य नहीं करता है।

30. न्याय दृ० सरला वर्मा में भी मान्नीय उच्चतम न्यायालय ने केवल मां को ही आश्रित मानते हुए 50 प्रतिशत कटौती किये जाने का निर्देश दिया है। न्यायदृष्टांत अमृत भानूशाली एवं अन्य बनाम नेशनल इन्श्योरेन्स क० लि० एवं अन्य 2012 ए सी जे 2002 में मान्नीय उच्चतम न्यायालय ने अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में 50 प्रतिशत कटौती किया जाना मान्य किया है।
31. अविवाहित होने की स्थिति में यह मान्य किया जावेगा कि यदि हरिकिशन विवाहित होता तो अपनी आय का 50 प्रतिशत अपने स्वयं के उपर खर्च करता। इस संबंध में न्यायदृष्टांत शान्तिदेवी बनाम न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स क० लि० एवं अन्य 2011(1) टी ए सी 4 (एस सी) अवलोकनीय है। क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने पर आय का 50 प्रतिशत कटौती किया जाना न्यायोचित है, जिसका कटौती किये जाने पर मृतक हरिकिशन की वार्षिक आय 30,000/-रुपये रह जाती है जो कि वार्षिक आश्रितता की हानि है।
32. न्यायदृष्टांत नेशनल इन्श्योरेन्स क० लि० बनाम श्याम सिंह एवं अन्य एम ए सी डी 2011 (एससी) 118 में मान्नीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मृतक की अविवाहित होने की स्थिति में उसके पालक/माता-पिता की आयु के अनुसार ही गुणांकों का चयन किया जावेगा अर्थात् मृतक अथवा आश्रित/आवेदक में से जिसकी आयु अधिक हो उसकी आयु के अनुसार ही गुणक का चयन किया जावेगा। इस संबंध में न्यायदृष्टांत शक्तिदेवी व न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स क० लि० एवं अन्य 2011 (ए) टी ए सी 4 (एस सी) अवलोकनीय है।
33. न्यायदृष्टांत म्युनिसिपल कारपोरेशन ऑफ ग्रेटर बाम्बे विरुद्ध श्री लक्ष्मण अययर, ए आई आर 2003 एस सी 4182 निर्णय चरण 12 में यह प्रतिपादित किया गया है कि मृतक के अविवाहित होने पर और माता-पिता के नियोजन में और शिक्षित होने पर उनका योगदान विचारणीय होता है। एक व्यक्ति के विवाह होने के बाद उसका योगदान कम होने की संभाव्यता एक वास्तविकता है। प्रतिकर का योगदान की हानि या आर्थिक

लाभ की हानि से संबंध होता है। दावेदारों की उम्र को विचार में लेते हुए इस मामले में दस का गुणांक प्रयोग किया गया।

34. न्यायदृष्टांत रमेश सिंह विरुद्ध सतवीर सिंह, ए आई आर 2008 एस सी 1233 निर्णय चरण 5 में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि सभी मामलों में मृतक की उम्र के आधार पर गुणांक का चयन नहीं किया जा सकता जब एक युवा व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होती है जिसके पीछे वृद्ध माता-पिता जीवित बचते हैं वहाँ उनकी अल्प जीवन प्रत्याशा को देखते हुए गुणांक का चयन किया जाता है। यह मामला धारा 163-ए मोटरयान अधिनियम पर आधारित था।
35. न्यायदृष्टांत कानसिंह विरुद्ध तुकाराम, 2015 ए सी जे 594 (एस सी) में मृतक अविवाहित था और उसके माता-पिता के उम्र के आधार पर 11 का गुणांक का चयन करना उचित माना गया था।
36. न्यायदृष्टांत न्यू इंडिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड विरुद्ध श्रीमती शांति पाठक, ए आई आर 2007 एस सी 2649 तीन न्यायमूर्तिगण की पीठ निर्णय चरण-7 के अनुसार मृतक के माँ की उम्र 65 वर्ष को देखते हुए 5 का गुणांक उचित माना गया। इस मामले में बीमा कम्पनी ने अपील इस आधार पर की थी कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने दावेदारों की उम्र को विचार में न लेकर और मृतक की उम्र को विचार में लेकर गुणांक प्रयुक्त करने में भूल की है अपील को स्वीकार किया गया था।
37. उक्त चारों मामलों में यह प्रश्न विचारणीय था कि गुणांक का मृतक की उम्र या माता पिता की उम्र, किसकी उम्र के आधार पर चयन किया जाना चाहिये और सभी मामलों में माता-पिता अर्थात् दावेदार की उम्र के आधार पर गुणांक के चयन करने की विधि प्रतिपादित की गई है।
38. इसके अतिरिक्त माता-पिता की उम्र के आधार पर गुणांक का चयन उनकी अवशेष जीवन प्रत्याशा को देखते हुए भी किया जाना उचित होता है।

अधिकरणों का कार्य एक युक्तियुक्त प्रतिकर निर्धारित करना होता है जो न तो अत्यंत अल्प होना चाहिये और न ही हवा में गिरे हुए फल के समान लाभकारी होना चाहिये। इस संबंध में न्यायदृष्टांत स्टेट ऑफ हरियाणा विरुद्ध जसवीर कौर ए आई आर 2003 एम सी 3696, सैयद वसीर अहमद विरुद्ध मोहम्मद जमील ए आई आर 2009 एस सी 1219 अवलोकनीय है।

39. न्यायदृष्टांत सरला वर्मा विरुद्ध देहली ट्रांसपोर्ट, 2009 एसीजे 1298 (एस सी) के मामले में मृतक के उम्र के आधार पर गुणांक का चयन करने की विधि प्रतिपादित की गई है और उस आधार पर एक तालिका भी बनाई गई है लेकिन इस मामले में यह प्रश्न विचारणीय नहीं था कि यदि मृतक अविवाहित हो तब गुणांक का चयन किसकी उम्र के आधार पर होना चाहिए। यद्यपि निर्णय चरण संख्या 15 में यह विचार अवश्य किया गया है कि यदि मृतक अविवाहित हो तो उसका व्यक्तिगण जीवन निर्वाह खर्च उसकी आमदनी का 50 प्रतिशत काटा जाना चाहिए।
40. न्यायदृष्टांत रेशमा कुमारी विरुद्ध मदन मोहन, 2013 ए सी जे 1253 (एस सी) तीन न्यायमूर्तिगण की पीठ के मामले में उक्त न्यायदृष्टांत सरला वर्मा की पुष्टि की गई है लेकिन इस मामले में भी यह प्रश्न विचारणीय नहीं था कि मृतक अविवाहित हो तब गुणांक का चयन किसकी उम्र आधार पर किया जाना चाहिए।
41. अतः उक्त न्यायदृष्टांत लक्ष्मण अययर, रमेश सिंह और श्रीमती शांति पाठक में यह प्रश्न विचारणीय होने के कारण कि मृतक के अविवाहित होने पर गुणांक का चयन मृतक या माता-पिता, किसकी उम्र के आधार पर करना चाहिए तथा इन न्याय दृष्टांतों में माता-पिता की आयु के आधार पर ही गुणांक का चयन किये जाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। मृत्यु प्रकरण में प्रतिकर निर्धारण के समय यदि मृतक अविवाहित हो और दावेदार माता-पिता हो तब गुणांक का चयन माता-पिता की उम्र के आधार पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार श्रीमती केशर की आयु के आधार पर ही गुणक का प्रयोग किया जावेगा।

42. क्लेम याचिका में श्रीमती केशर बाई की आयु 43 वर्ष की होना बताई गई है। रामअवतार के वोटर कार्ड की फोटोप्रति के अनुसार उसके जन्म की दिनांक 1969 है, जिसके आधार पर दुर्घटना को उसकी आयु 46 वर्ष की होती है उक्त आधार पर केशर बाई की आयु दुर्घटना के समय 43 वर्ष ही होना प्रकट होती है। जिसके खण्डन में कोई साक्ष्य नहीं है। अभियोगपत्र में भी रामअवतार को तत्समय की आयु 45 वर्ष लिखी हुई है।
43. इस प्रकार श्रीमती केशर बाई की आयु 43 वर्ष के आधार पर आयु समूह 41 से 45 वर्ष का होता है, जिसके लिए न्याय दृ० सरला वर्मा के आधार पर 14 का गुणक प्रयुक्त होगा। 5,000/—रुपए के हिसाब से हरिकिशन की वार्षिक आय 60,000/—रुपए होती है, जिसमें से 50 प्रतिशत का कटौती किए जाने पर आय 30,000/—रुपए वार्षिक होती है। जो आश्रितता की होती है, जिसमें 14 का गुणक लगाए जाने पर 4,20,000/—रुपए की राशि होती है। जो आवेदकगणको दिलाई जाती है।
44. न्यायदृष्टांत राजेश व अन्य बनाम राजीव व अन्य 2013 ए सी जे 1403 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम संस्कार के व्यय में कम से कम 25,000/—रु. की राशि दिलाये जाने का मार्गदर्शन दिया गया है। अतः उक्त राशि 25,000/—रु. प्रथक से प्रतिकर स्वरूप दिलाई जाती है।
45. आवेदक क्रमांक-1 व 2 ने अपना पुत्र खोया है। वह उसके प्रेम सान्निध्य देख रेख एवं पुत्र सुख से वंचित हुये है। अतः इस मद में आवेदकगण को 35,000/—रुपये की राशि दिलवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस मामले में मृतक हरिकिशन के पिता रामअवतार आवेदक क्रमांक-1 को आश्रित होना मान्य नहीं किया गया है परन्तु यह निश्चित है कि वृद्धावस्था की ओर जाने पर पुत्र हरिकिशन उसकी वृद्धावस्था का सहारा होता, उसने अपना पुत्र खोया है और पुत्र सुख से वंचित हुआ है। वह हरिकिशन का वारिस भी है। ऐसी स्थिति में उसे भी कुछ क्षतिपूर्ति की राशि दिलवाई जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति की राशि की अदायगी से उन्मुक्त किया गया है।

46. इस प्रकार आवेदकगण अनावेदक क्रमांक 01 से संयुक्त रूप से अथवा प्रथक-प्रथक रूप से निम्नानुसार क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है:-

क्रमांक	मद	राशि
1	आश्रितता की हानि	4,20,000 / -
2	अंतिम संस्कार का व्यय	25,000 / -
3	प्रेम, सान्निध्य, देखरेख आदि से बंचित होने के मद में राशि	35,000 / -
कुल क्षतिपूर्ति राशि		4,80,000 / -

वादप्रश्न क्रमांक 04

47. यह वादप्रश्न पक्षकारों के असंयोजन के दोष होने के संबंध में है परंतु इस संबंध में अनावेदकगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि इस प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का कोई दोष है।

वादप्रश्न क्रमांक 05 सहायता एवं वाद व्यय:-

48. उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण अपने मामले को आंशिक रूप से प्रमाणित करने से सफल रहे हैं। अतः उनकी यह क्लेम याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आवेदकगण के पक्ष में एवं अनावेदक क्रमांक 01 के विरुद्ध निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है:-

1. अनावेदक क्रमांक 01 आवेदकगण को संयुक्त रूप से अथवा प्रथक-प्रथक रूप से क्षतिपूर्ति की राशि 4,80,000 / - (चार लाख अस्सी हजार) रुपए अधिनिर्णय दिनांक 20.07.2017 से दो माह के अंदर अदा करेगा।
2. अनावेदक क्रमांक 01 आवेदकगण को क्लेम याचिका प्रस्तुति दिनांक 04.04.16 से संपूर्ण राशि की अदायगी तक उपरोक्त राशि पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज भी अदा करेगा।

3. उक्त क्षतिपूर्ति की राशि 4,80,000/-रुपए (चार लाख अस्सी हजार रुपए) एवं उससे प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि में से अनावेदक क्रमांक 01 को 2,00,000/-रुपए (दो लाख रुपए) की राशि प्रदान की जावे जिसमें से 1,50,000/-रुपए (एक लाख पचास हजार रुपए) की राशि तीन वर्ष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्सडिपोजिट की जावे तथा 50,000/-रुपए (पचास हजार रुपए) की राशि उसे बैंक के माध्यम से नकद प्रदान की जावे।
4. आवेदक क्रमांक 02 श्रीमती केशर बाई को शेष राशि प्रदान की जावे जिसमें से जिसमें से 50,000-50,000/- (पचास-पचास हजार) रुपए की राशि कमशः छः माह, एक वर्ष एवं दो वर्ष के लिए तथा 1,00,000/- (एक लाख) रुपए की राशि पांच वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स डिपोजिट की जावे तथा शेष राशि उसे बैंक के माध्यम से नकद प्रदान की जावे।
5. अनावेदक क्रमांक 01 अपना स्वयं का तथा आवेदकगण का वाद व्यय एवं अभिभाषक शुल्क वहन करेगा। अनावेदक क्रमांक 02 अपना स्वयं का वाद व्यय वहन करेगा।
6. अभिभाषक शुल्क दो हजार रुपए (2,000/-रुपए) लगाया जावे।

उपरोक्तानुसार व्यय तालिका बनायी जावे।

अधिनिर्णय न्यायालय में दिनांकित एवं मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा.अधि.
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा.अधि.
गोहद, जिला भिण्ड